न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं. : 24/17

अनवान :

1. कृष्णकुमार पुत्र ज्ञानसिंह } जाति गोस्वामी निवासीगण सागड़ा
2. सोनू पुत्र ज्ञानसिंह } नाबालिगान जरिये वली कुदरती माता

शारदा पत्नी ज्ञानसिंह जाति गोस्वामी निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थीगण

बनाम

ज्ञानसिंह गोद पुत्र शांतिदेवी (पुत्र जगदीश) जाति गोस्वामी निवासी सागड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थी

दरख्वास्त अस्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधिनियम

उपस्थित : वकील श्री सुनील बैनीवाल : प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक :** 26.2.18

संक्षेप में दरख्वास्त के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 जेएसएल के खाता सं0 107/99 के मु0नं0 68 के किला नं0 6, 15 मु0नं0 69 के किला नं0 1, 10, 11 कुल 0.9230 है0 में शांति देवी पत्नि बीरबल का 1/2 हिस्सा, चक 8 जेएसएल के खाता सं0 190/82 के मु0नं0 129 के किला नं0 22, 23, 24 मु0नं0 134 के किला नं0 1, 2, 3, 4 कुल 1.771 है0 में शांती देवी पत्नी बीरबल का 1/2 हिस्सा, चक 9 जेएसएल के खाता सं0 19/18 के मु0न0 151 के किला नं0 7, 8, 9, 12, 13, 14 की कुल 1.518 है0 में शांती देवी पत्नि बीरबल का 56 हिस्सा, चक 10 जेएसएल के खाता सं0 193/198 मु0नं0 149 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 150 के किला नं0 15 ता 25 मु0नं0 151 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11 मु0नं0 166 के किला न0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मु0नं0 167 के किला नं0 5 कुल 6.199 है0 में शांती देवी पत्नी बीरबल का 1/2 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। गैरसायल सं0 1 शांतीदेवी के गोद खोले गये हुआ है। शांतीदेवी की मृत्यु के पश्चात् उक्त कुल कृषि भूमि गैरसायल सं0 1 के नाम से खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई।

गैरसायल ज्ञानसिंह व वादीगण पिता–पुत्र है। गैरसायल को उपरोक्त कृषि भूमि अपनी खोलायत माता शांतिदेवी से विरासतन प्राप्त हुई है। सायलान व गैरसायल संयुक्त हिन्दु परिवार के सदस्य है। वाद कृषि भूमि दादालाई संयुक्त पैतृक कृषि भूमि है जो पीढ़ी–दर–पीढ़ी विरासतन दर्ज चली आ रही है। पूर्व में उक्त कृषि भूमि सायलान की दादी शांतीदेवी के नाम दर्ज

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनु.)

थी, सायलान की दादी शांतीदेवी के देहान्त के बाद सायलान के पिता गैरसायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई, सायलान व गैरसायलान संयुक्त रूप से वादगत कृषि भूमि को काश्त करते आ रहे है। पक्षकारान दावा का संयुक्त व अविभाजित परिवार है, संयुक्त आय व संयुक्त खर्चा है। इसलिऐ वाद कृषि भूमि में गैरसायल के साथ सायलान का जन्म से हक व हिस्सा निहित है लेकिन गैरसायल कर्ता खानदान होने के कारण वाद भूमि तन्हा गैरसायल ज्ञानसिंह के नाम दर्ज हो गई जिससे सायलान के हितों पर कुठाराघात होता है और वे अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि से महरूम है।

उपरोक्त कृषि भूमि को सायलान व गैरसायलान काश्त करते है व अपने हिस्से अनुसार लगान आदि अदा करते है लेकिन वाद भूमि गैरसायल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण सायलान को अपनी जरूरत हेतु ऋण बगैरहा लेने, कृषि भूमि को समतल व उपजाऊ बनाने व अन्य मन माफिक उपयोग–उपभोग करने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

दरख्वास्त प्रस्तुत होने के उपरान्त अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तामील हो चुकी है, अप्रार्थी को बार–बार आवाज लगाई गई उपस्थित नहीं आया इसलिए उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील प्रार्थीगण एक पक्षिय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जो कि ज्ञानसिंह को अपनी खोलायत माता शांतिदेवी से प्राप्त हुई है। अप्रार्थी कृषि भूमि को विक्रय करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है। इस प्रकार दरख्वास्त प्रार्थीगण स्वीकार किये जाने हेतू निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण ने चक 7, 9 व 10 जेएसएल में अपने पिता के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि को दावा के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल एवं मौका व की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। प्रकरण के निस्तारण हेतु हमे अस्थाई निषेधाज्ञा की तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णिय के पर विचार करना है। अपनी दरख्वास्त में प्रार्थीगण ने विवादित कृषि भूमि को पैतृक होना व अप्रार्थी शांतिदेवी का गोद पुत्र होना एवं शांतिदेवी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी को विरासतन कृषि भूमि प्राप्त होने के तथ्य अंकित किये है जिसकी पुष्टि हेतु प्रार्थीगण ने उपपंजीयक छानीबड़ी द्वारा तस्दीक शुदा गोदनामा व चित्रप्रति जमाबन्दी चक 7, 9, 10 जेएसएल की प्रस्तुत की है जिसमें ज्ञानसिह पि0मु0शान्तिदेवी अंकित है जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी प्रथम दृष्टया साबित है यदि अप्रार्थी कृषि भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल कर देता है तो प्रार्थीगण को असुविधा होगी एवं अपूर्णिय क्षति होने की पूरी संभावना है।

सहायक कलक्टर
नोहर (हनु.)

अत : दरख्वास्त प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार की जाकर पूर्व में जारी कृषि ऋण के नवीनीकरण की स्वंतत्रता प्रदान करते हुए अप्रार्थी के विरूद्ध ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह रोही मौजा चक 7 जेएसएल के खाता सं0 107/99 के मु0नं0 68 के किला नं0 6, 15 मु0नं0 69 के किला नं0 1, 10, 11 कुल 0.9230 है0 व चक 8 जेएसएल के खाता सं0 190/82 के मु0नं0 129 के किला नं0 22, 23, 24 मु0नं0 134 के किला नं0 1, 2, 3, 4 कुल 1.771 है0 व चक 9 जेएसएल के खाता सं0 19/18 के मु0नं0 151 के किला नं0 7, 8, 9, 12, 13, 14 की कुल 1.518 है0 व चक 10 जेएसएल के खाता सं0 193/198 मु0नं0 149 के किला नं0 16, 25 मु0नं0 150 के किला नं0 15 ता 25 मु0नं0 151 के किला नं0 1, 2, 9, 10, 11 मु0नं0 166 के किला न0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मु0नं0 167 के किला नं0 5 कुल 6.199 है0 में अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य दीगर तरीके से मुन्तकिल नहीं करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय आज दिनांक 26.2.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कसवा)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा (हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ